

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 440]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-22/2014/32.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 76 ख की उप-धारा (2) सहपठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, —

अनुसूची—दो (क) सरल क्रमांक 6 के कॉलम (7) में, शब्द एवं चिन्ह “राज्य प्रशासनिक सेवा/संविदा नियुक्ति” के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह “राज्य प्रशासनिक सेवा/उप-सचिव से अनिम्न श्रेणी के पद पर कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव/संविदा नियुक्ति” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 16 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-22/2014/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 16th September 2020

NOTIFICATION

No. F 1-22/2014/32.— In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 76B read with Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Development Authority Services (Officers and Employees) Recruitment Rules, 2013 namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Column (7) of serial number 6 of Schedule-II(A), for the words and symbol "State Administrative Services/ Contract Appointment", the words and symbol "State Administrative Services/ Not below the rank of Deputy Secretary with minimum 5 years of work experience/ Contract Appointment" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANKIT ANAND, Special Secretary.